पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई-मेल: reg.shekhauni@gmail.com दूरभाष नं: 01572-232411

क्रमांकः- 590-596 | दिनांकः 19/12/2023

प्रबन्ध बोर्ड की 26वीं बैठक दिनांक 14.12.2023 का कार्यवाही विवरण

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 14.12.2023 को दोपहर 12:15 बजे विश्वविद्यालय परिसर स्थित सभागार में आयोजित की गई। जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे:-

क्र.सं	नाम	पद नाम	पदेन
1.	प्रोफेसर (डॉ.) अनिल कुमार राय	माननीय कुलपति	अध्यक्ष
2.	मनमोहन मीणा	अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सीकर (ऑनलाईन उपस्थित) प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव वित विभाग/संभागीय आयुक्त सीकर	सदस्य
3.	श्री मनीष कुन्दना	(ऑनलाईन उपस्थित) प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा	सदस्य
4.	डॉ. कौशल किशोर	माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा नामनिर्देशित	सदस्य
5.	डॉ. संगीता कुमारी	माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा नामनिर्देशित	सदस्य
6.	प्रोफेसर (डॉ) रणवीर सिंह	संकायाध्यक्ष, विज्ञान	सदस्य
7.	डॉ. पुष्पा चौधरी	माननीय कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष, समाज विज्ञान संकाय	सदस्य
8.	डॉ. ऋचा कुलश्रेष्ठ	प्राचार्य, निजी महाविद्यालय राज्य सरकार प्रतिनिधि	सदस्य
9.	श्री राजवीर सिंह चौधरी	कुलसचिव	सदस्य सचिव

बैठक की विधिवत कार्यवाही आरम्भ होने से पूर्व माननीय कुलपति महोदय ने सभी आगुन्तक सदस्यों का स्वागत किया। बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु कुलसचिव को निर्देशित किया गया और प्रबंध बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत मदों (Agendas) पर निम्नानुसार निर्णय किये गये :-

Item Agenda (मद) 1 :- प्रबंध बोर्ड की गत 25वीं बैठक दिनांक 21.06.2023, के कार्यवृत की पुष्टि का प्रस्ताव। **(कार्य सूची की परिशिष्ट – I)**

निर्णयः बैठक दिनांक 21.06.2023, के कार्यवृत की पुष्टि की गई।

Item Agenda (मद) 2 :- प्रबंध बोर्ड की गत 25वीं बैठक दिनांक 21.06.2023, के अनुपालना प्रतिवेदन (ATR) के अनुमोदन पर विचार एवं निर्णय। **(कार्य सूची की परिशिष्ट – II)**

निर्णयः 25वीं बैठक दिनांक 21.06.2023 के कार्य सूची की परिशिष्ट II में संलग्न अनुपालना प्रतिवेदन (ATR) का अनुमोदन किया गया।

Item Agenda (मद) 3 :— विद्या परिषद की 19वीं बैठक दिनांक 16.10.2023 और 20वीं बैठक दिनांक 12.12.2023 के कार्यवृत्त का अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत। **(संलग्नक–III)**

निर्णयः विद्या परिषद की 19वीं बैठक दिनांक 16.10.2023 और 20वीं बैठक दिनांक 12.12.2023 के कार्यवृत्त का संलग्नको सहित अनुमोदन किया गया।

Item Agenda (मद) 4 :— वित्त समिति की 15वीं बैठक दिनांक 12.12.2023 का कार्यवृत्त अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत। **(संलग्नक–IV)**

निर्णयः वित्त समिति की 15वीं बैठक दिनांक 12.12.2023 का कार्यवृत्त का संलग्नको सहित अनुमोदन किया गया।

Item Agenda (मद) 5 :— विद्या परिषद की 19वीं बैठक दिनांक 16.10.2023 के मद सं. 4 की अनुपालना में गठित समितियों– शैक्षणिक विकास समिति, शैक्षणिक आधारभूत संसाधन विकास समिति, पुस्तकालय विकास समिति की बैठक क्रमशः दिनांक 10–11 नवम्बर 2023, दिनांक 20–21 नवम्बर 2023 दिनांक तथा 26–27 नवम्बर 2023 की अनुशंसाओं का अवलोकन एवं अनुमोदन। **(संलग्नक–V)**

निर्णयः विद्या परिषद की 19वीं बैठक दिनांक 16.10.2023 के मद सं. 4 की अनुपालना में गठित समितियों– शैक्षणिक विकास समिति, शैक्षणिक आधारभूत संसाधन विकास समिति, पुस्तकालय विकास समिति की बैठक क्रमशः दिनांक 10–11 नवम्बर 2023, दिनांक 20–21 नवम्बर 2023 दिनांक तथा 26–27 नवम्बर 2023 की अनुशंसाओं का संलग्नको सहित अनुमोदन किया गया।

Item Agenda (मद) 6 :— अकादमिक विकास समिति/दिनांक 10–11 नवम्बर 2023 द्वारा संस्तुत और विद्या परिषद की 20वीं बैठक दिनांक 12.12.2023 की मद संख्या 03 पर अनुमोदित संकायों तथा उनके अन्तर्गत विश्वविद्यालय परिषर में संचालित किए जाने वाले विभागों की स्थापना एवं संचालन पर विचार एवं अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त करना। **(संलग्नक– VI)**

निर्णयः अकादमिक विकास समिति/दिनांक 10–11 नवम्बर 2023 द्वारा संस्तुत और विद्या परिषद की 20वीं बैठक दिनांक 12.12.2023 की मद संख्या 03 पर अनुमोदित संकायों तथा उनके अन्तर्गत विश्वविद्यालय परिसर में संचालित किए जाने वाले विभागों की स्थापना एवं संचालन का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 7 :— विश्वविद्यालय परिसर में

1. पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास केन्द्र।
2. पंडित दीनदयाल उपाध्याय अनुसंधान केन्द्र।
3. खादी एवं हस्तशिल्प उधमिता केन्द्र।
4. प्रतिभा पोषण केन्द्र (इन्क्यूबेशन सेन्टर)।
5. विशविद्यालय संसाधन केन्द्र की स्थापना एवं संचालन पर विचार एवं अनुमोदन।

निर्णयः –विश्वविद्यालय परिसर में वर्णित केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन का निर्णय किया गया साथ ही खादी एवं हस्तशिल्प उधमिता केन्द के अन्तर्गत महिला उधमिता को केंद्रित कर संचालित किये जाने का निर्णय किया।

Item Agenda (मद) 8 :— विश्वविद्यालय परिसर से सामुदायिक रेडियो का संचालन/प्रसारण प्रक्रियाधीन है। प्रक्रिया पूर्ण करके " अपना शेखावाटी रेडियो" के नाम से सामुदायिक रेडियो के संचालन/प्रसारण पर विचार एवं निर्णय।

निर्णयः "अपना शेखावाटी रेडियो" के नाम से सामुदायिक रेडियो के संचालन/प्रसारण का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 9 :— परिसर में सत्र 2024–25 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में संचालित किया जाने वाले कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों के लिए आधारभूत सरंचना स्थापित, विकसित तथा सुसज्जित करने के लिए तत्संबंधी गठित समितियों की अनुशंसाओं के अनुसरण में यथोचित आवश्यक कार्यवाही कर कार्य संपन्न करने पर विचार एवं अनुमोदन। **(संलग्नक– VII)**

निर्णयः परिसर में सत्र 2024–25 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में संचालित किया जाने वाले कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों के लिए आधारभूत सरंचना स्थापित, विकसित तथा सुसज्जित करने के लिए तत्संबंधी गठित समितियों की अनुशंसाओं के अनुसरण में यथोचित आवश्यक कार्यवाही कर संलग्नकों सहित कार्य संपन्न करने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 10 :— विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को केन्द्रीय पुस्तकालय के रूप में विकसित एवं सुसज्जित करने की दृष्टि से ई–पुस्तकालय , ई–रिसोर्स, पुस्तकालय आटोमेशन, आर.एफ.आई.डी., कियोस्क व्यवस्था तथा पुस्तकालय के योग्य आवश्यक साज–सज्जा किए जाने पर विचार एवं निर्णय।

निर्णयः विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को केन्द्रीय पुस्तकालय के रूप में विकसित एवं सुसज्जित करने की दृष्टि से ई–पुस्तकालय , ई–रिसोर्स, पुस्तकालय आटोमेशन, आर.एफ.आई.डी., कियोस्क व्यवस्था तथा पुस्तकालय के योग्य आवश्यक साज–सज्जा किए जाने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 11 :— परिसर में संचालित किए जाने वाले पाठ्यक्रमों के लिए गठित संकायाध्यक्ष समिति द्वारा प्रस्तुत/संस्तुत "सेमेस्टर प्रणाली अध्यादेश–2023" तथा "स्ववित्त पोषितं पाठ्यक्रम (एस.एफ.एस) नियमावली 2023" का अवलोकन एंव अनुमोदन। **(संलग्नक– VIII)**

निर्णयः परिसर में संचालित किए जाने वाले पाठ्यक्रमों के लिए गठित संकायाध्यक्ष समिति द्वारा प्रस्तुत/संस्तुत "सेमेस्टर प्रणाली अध्यादेश–2023" तथा "स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम (एस.एफ.एस) नियमावली 2023" के अनुमोदन का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 12 :— विश्वविद्यालय में अधिकारियों और कर्मियों की कमी के कारण 02 कन्सलटेण्ट/एडवाइजर संगत नियमों और प्रावधानों के अनुरूप नियुक्त/अनुबंधित करने पर विचार एवं निर्णय।

निर्णयः विश्वविद्यालय में अधिकारियों और कर्मियों की कमी के कारण 02 कन्सलटेण्ट/एडवाइजर संगत नियमों और प्रावधानों के अनुरूप नियुक्त/अनुबंधित करने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 13 :— स्वीकृत पद निजी सचिव (PS) के संबंधित प्रावधान के अनुरूप सेवानिवृत कर्मी को नियुक्त/अनुबंधित करने पर विचार एवं निर्णय।

निर्णयः स्वीकृत पद निजी सचिव (PS) के संबंधित प्रावधान के अनुरूप सेवानिवृत कर्मी को नियुक्त/अनुबंधित करने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 14 :– यूजीसी/राज्य सरकार के प्रावधानों के अनुसार स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों (एस.एफ.एस.) के अध्यापन कार्य हेतु संविदा शिक्षक, अतिथि शिक्षक को समेकित वेतन मानदेय पर नियुक्त/अनुबंधित करने पर विचार एवं निर्णय करना।

निर्णयः यूजीसी/राज्य सरकार के प्रावधानों के अनुसार स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों (एस.एफ.एस.) के अध्यापन कार्य हेतु संविदा शिक्षक, अतिथि शिक्षक को समेकित वेतन मानदेय पर नियुक्त/अनुबंधित करने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 15 :– यूजीसी/राज्यशासन के नियमों एवं प्रावधानों के अनुसार सेवानिवृत प्रोफेसर/संकाय सदस्य/ प्रोफेरस इन प्रेक्टीस को अध्यापन एवं अन्य संबंधित कार्यों में सहयोग के लिए समेकित वेतन/मानदेय पर अथवा पे–माइनस पेंशन के आधार पर नियुक्त/अनुबंधित करने पर विचार एवं निणर्य करना।

निर्णयः यूजीसी/राज्यशासन के नियमों एवं प्रावधानों के अनुसार सेवानिवृत प्रोफेसर/संकाय सदस्य/ प्रोफेरस इन प्रेक्टीस को अध्यापन एवं अन्य संबंधित कार्यों में सहयोग के लिए समेकित वेतन/मानदेय पर अथवा पे–माइनस पेंशन के आधार पर नियुक्त/अनुबंधित करने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 16 :– विश्वविद्यालय परिसर में सोलर ऊर्जा/ग्रीन एनर्जी की व्यवस्था के संबंध में अब तक की गई प्रक्रिया से अवगत कराना तथा उक्त मद में बजट 2023–24 में आवंटित धनराशि से आरटीपीपी रूल्स 2013 के प्रावधानों के अनुसार ओपन ई–टेण्डर/जैम के माध्यम से अधिकतम स्वीकृत बिजली भार 400 KWP तक का कार्य संपन्न करवाने पर विचार एवं निर्णय करना।

निर्णयः विश्वविद्यालय परिसर में सोलर ऊर्जा/ग्रीन एनर्जी की व्यवस्था के संबंध में अब तक की गई प्रक्रिया से प्रबंध बोर्ड माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया तथा सर्व सम्मति से सहमति बनी कि इस संदर्भ में अब तक की गई कार्यवाही को निरस्त किया जाता हैं तथा उक्त मद में बजट 2023–24 में आवंटित धनराशि से आरटीपीपी रूल्स 2013 के प्रावधानों के अनुसार ओपन ई–टेण्डर/जैम के माध्यम से अधिकतम स्वीकृत बिजली भार 400 KWP तक का कार्य संपन्न करवाने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 17 :– बजट 2023–24 में किए गए प्रावधान के पालना में परिसर में "कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउण्टेन एण्ड ऑर्नामेण्टल वर्क" का कार्य आरटीपीपी रूल 2013 के अनुसार ओपन ई–टेण्डर/जैम के माध्यम से सम्पन्न करवाने पर विचार एवं निर्णय करना।

निर्णयः :– बजट 2023–24 में किए गए प्रावधान के पालना में परिसर में "कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउण्टेन एण्ड ऑर्नामेण्टल वर्क" का कार्य आरटीपीपी रूल 2013 के अनुसार ओपन ई–टेण्डर/जैम के माध्यम से सम्पन्न करवाने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 18 :– विश्वविद्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर निर्दिष्ट है। अतः परिसर में उचित स्थान पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति/प्रतिमा स्थापित किया जाना अपेक्षित है। उस स्थान को "पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान" के रूप में चिह्नित एवं विकसित किया जाना संगत होगा। बजट 2023–24 के पैरा AF में किए गए प्रावधान से उक्त कार्य को किया जा सकता है तथा विवेकानन्द पार्क को "पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान" के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। कृपया विचारार्थ एवं निर्णयार्थ विषय प्रस्तुत।

निर्णयः मद में वर्णानुसार पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान विकसित किये जाने तथा उपयुक्त स्थान पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भव्य मूर्ति/प्रतिमा स्थापित किये जाने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 19 :– विश्वविद्यालय परिसर में कार्यदायी संस्था आर.एस.आर.डी.सी. (राज्य पी.एस.यू.) भवन, सड़क इत्यादि के प्लानिंग, ड्राइंग, डिजाइन, डीपीआर, निर्माण, सुपरविजन आदि कार्यों के लिए एकल संस्था के रूप में कार्य कर रही है। सी.वी.सी. के प्रावधानों तथा पारदर्शी पद्धति की दृष्टि से "थर्ड पार्टी ऑडिट एण्ड इन्सपेक्शन" की व्यवस्था के लिए किसी अन्य केन्द्रीय/राज्य पीएसयू को आरटीपीपी रूल 2013 के प्रावधानों के अनुसार ओपन ई–टेण्डर/जैम के माध्यम से अनुबंधित किए जाने पर विचार एवं निर्णय।

निर्णयः विश्वविद्यालय परिसर में कार्यदायी संस्था आर.एस.आर.डी.सी. (राज्य पी.एस.यू.) भवन, सड़क इत्यादि के प्लानिंग, ड्राइंग, डिजाइन, डीपीआर, निर्माण, सुपरविजन आदि कार्यों के लिए एकल संस्था के रूप में कार्य कर रही है। सी.वी.सी. के प्रावधानों तथा पारदर्शी पद्धति की दृष्टि से "थर्ड पार्टी ऑडिट एण्ड इन्सपेक्शन" की व्यवस्था के लिए किसी अन्य केन्द्रीय/राज्य पीएसयू को आरटीपीपी रूल 2013 के प्रावधानों के अनुसार ओपन ई–टेण्डर/जैम के माध्यम से अनुबंधित किए जाने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 20 :– विश्वविद्यालय परिसर में कार्यदायी संस्था आर.एस.आर.डी.सी. (राज्य पी.एस.यू.) भवन, सड़क इत्यादि के प्लानिंग, ड्राइंग, डिजाइन, डीपीआर, निर्माण, सुपरविजन आदि कार्यो के लिए एकल संस्था के रूप में कार्य कर रही है। विभिन्न राज्य/ केन्द्रीय पी.एस.यू. की सेंटेंज चार्जेज अलग–अलग रहती हैं। वर्तमान कार्यदायी संस्था को सेंटेंज चार्ज के रूप में कुल लागत धनराशि पर 09%, सुपरविजन/ क्वालिटी कंट्रोल चार्ज 01% तथा कंटीजेंसी चार्ज 1.50–3.00% तक भुगतान हो रहा है। यदि प्रतिस्पर्धी बोली (कम्पीटीटिव बिडिंग) के माध्यम से एक से अधिक कार्यदायी संस्था/पी.एस.यू. को उक्त कार्य के लिए अनुबंधित किया जाए तो विश्वविद्यालय को आर्थिक बचत होगी। अतः उक्त कार्यों के निमित्त अन्य केन्द्रीय/राज्य पी.एस.यू. को आरटीपीपी रूल 2013 के प्रावधानों के अनुसार ओपन ई–टेण्डर/जैम के माध्यम से अनुबंधित किए जाने पर विचार एवं निर्णय।

निर्णयः विश्वविद्यालय परिसर में कार्यदायी संस्था आर.एस.आर.डी.सी. (राज्य पी.एस.यू.) भवन, सड़क इत्यादि के प्लानिंग, ड्राइंग, डिजाइन, डीपीआर, निर्माण, सुपरविजन आदि कार्यो के लिए एकल संस्था के रूप में कार्य कर रही है। विभिन्न राज्य/ केन्द्रीय पी.एस.यू. की सेंटेंज चार्जेज अलग–अलग रहती हैं। वर्तमान कार्यदायी संस्था को सेंटेंज चार्ज के रूप में कुल लागत धनराशि पर 09%, सुपरविजन/ क्वालिटी कंट्रोल चार्ज 01% तथा कंटीजेंसी चार्ज 1.50–3.00% तक भुगतान हो रहा है। यदि प्रतिस्पर्धी बोली (कम्पीटीटिव बिडिंग) के माध्यम से एक से अधिक कार्यदायी संस्था/पी.एस.यू. को उक्त कार्य के लिए अनुबंधित किया जाए तो विश्वविद्यालय को आर्थिक बचत होगी। अतः उक्त कार्यों के निमित्त अन्य केन्द्रीय/राज्य पी.एस.यू. को आरटीपीपी रूल 2013 के प्रावधानों के अनुसार ओपन ई–टेण्डर/जैम के माध्यम से अनुबंधित किए जाने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 21 :– विश्वविद्यालय में विभिन्न फुटकर (मेन्टीनेन्स/मिसलिनियस वर्क), कार्य यथा इलेक्ट्रिक, पलम्बिंग, बागवानी, स्टेशनरी, ई–स्टेशनरी, पुस्तकालय में पुस्तक संधारण, पुस्तकों पर स्टीकर, बारकोड लगाने इत्यादि एवं समय–समय पर यथावश्यक कार्यो को करवाने/आपूर्ति करवाने के लिए किसी फर्म को चयनित किया जाना आवश्यक है। संबंधित फर्म को चयनित एवं अनुबंधित किए जाने पर विचार एवं निर्णय करना।

निर्णयः वित्त समिति की 15वीं बैठक दिनांक 12.12.2023 के मद संख्या 8 के निर्णय के अनुसार कार्यवाही करने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 22 :– विश्वविद्यालय में "प्रतिभा पोषण केंद्र" (Incubation Centre) को स्थापित एवं प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए इंडियन कम्पनी एक्ट–2013 के सेक्शन 8 के तहत एक "फाउण्डेशन" का गठन किया जाना प्रस्तावित है। विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित तीन नाम– "शेखावाटी यूनिवर्सिटी इन्क्यूबेशन फाउण्डेशन /शेखावाटी यूनिवर्सिटी इनोवेशन एण्ड इन्क्यूबेशन फाउण्डेशन/पी.डी.यू. इन्क्यूबेशन फाउण्डेशन" में से किसी एक नाम की स्वीकृति मिलगी। इससे विश्वविद्यालय एवं उद्योगों के बीच सहयोग, सामंजस्य बढ़ाने तथा नए स्टार्ट अप्स प्रारंभ करने की दृष्टि से विद्यार्थियों/शोधार्थियों को नवाचारयुक्त व्यवसायिक वातावरण एवं सुविधाएं प्राप्त होगी। प्रस्ताव विचार एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।

निर्णयः मद में प्रस्तावित तीनों नामों मे से प्रथम नाम के पूर्व डी.डी.यू. समाहित कर "डी.डी.यू. शेखावाटी यूनिवर्सिटी इन्क्यूबेशन फाउण्डेशन" करने के साथ तीनों नामों का प्रस्ताव फाउंडेशन बनाने के लिए भेजने व विश्वविद्यालय में "प्रतिभा पोषण केंद्र" (Incubation Centre) को स्थापित एवं प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए इंडियन कम्पनी एक्ट–2013 के सेक्शन 8 के तहत एक "फाउण्डेशन" का गठन किए जाने तथा वित्त समिति की 15वीं बैठक दिनांक 12.12.2023 के मद संख्या 9 के अनुरूप इसके क्रियान्वयन की दृष्टि से किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान/फर्म से कंसल्टेंसी सेवाएं लेने के लिए अनुबंध करने के संबंध में अपेक्षित कार्यवाही करने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 23 :– विश्वविद्यालय संबंधी विधिक मामलों (जिला सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय स्तरीय) के निपटारा के लिए वकीलों का नया/ अद्यतन पैनल बनाया जाना अपेक्षित है। पूर्व के पैनल में मात्र केस संबंधी मानदेय का प्रावधान है जबकि विधिक राय/सुझाव संबंधी मानदेय की व्यवस्था नहीं है। विचार एवं निर्णय करना।

निर्णयः विश्वविद्यालय संबंधी विधिक मामलों (जिला सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय स्तरीय) के निपटारा तथा विधिक राय/सुझाव के लिए वकीलों का नया/ अद्यतन पैनल तैयार करवाने तथा दोनों कार्यों हेतु मानदेय निर्धारण के लिए आगामी प्रबंध बोर्ड बैठक में प्रकरण को रखने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 24 :– विश्वविद्यालय लेखा संबंधी विविध कार्यों/ओडिट/रिपोर्ट/जी.एस.टी. इत्यादि मामलों के निमित्त चार्टेड अकाउटेंड का नया/अद्यतन पैनल बनाया जाना अपेक्षित है। विचार एवं निर्णय करना।

निर्णयः :– विश्वविद्यालय लेखा संबंधी विविध कार्यों/ओडिट/रिपोर्ट/जी.एस.टी. इत्यादि मामलों के निमित्त चार्टेड अकाउटेंड का नया/अद्यतन पैनल तैयार करवा मानदेय निर्धारण के लिए आगामी प्रबंध बोर्ड बैठक में प्रकरण को रखने का निर्णय किया गया।

अन्त में, माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही संपन्न की गई।

कुलसचिव